भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *35
दिनांक 03 दिसम्बर 2025 / 12 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

'भारत के वीर' पोर्टल तथा 'भारत के वीर' ट्रस्ट

***35# डा. दिनेश शर्माः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)   'भारत' के वीर' पोर्टल तथा 'भारत के वीर' ट्रस्ट की स्थापना कब हुई;

(ख) वीरगति को प्राप्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कार्मिकों के आश्रितों को 'भारत के वीर' ट्रस्ट से क्या लाभ दिए जा रहे हैं;

(ग)   क्या वीरगति को प्राप्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के माता-पिता को भी 'भारत के वीर' ट्रस्ट से लाभ प्रदान किया जाता है; और

(घ)   'भारत के वीर' ट्रस्ट के माध्यम से वीरगति को प्राप्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के कितने आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 35, दिनांक 03.12.2025

"भारत के वीर" पोर्टल तथा "भारत के वीर" ट्रस्ट के संबंध में दिनांक 03.12.2025 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *35 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): "भारत के वीर" पोर्टल की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी तथा "भारत के वीर" ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी।

(ख) और (ग): "भारत के वीर" पोर्टल के माध्यम से वीरगति को प्राप्त कार्मिकों के निकटतम संबंधी (एनओके) को अन्य वित्तीय हकदारियों के अलावा 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। "भारत के वीर" ट्रस्ट यह सुनिश्चित करती है कि वीरगति को प्राप्त कार्मिकों के निकटतम संबंधी (एनओके) को सभी हकदारियों से न्यूनतम 01 करोड़ रुपये मिल जाए। वीरगति को प्राप्त विवाहित कार्मिकों के माता-पिता को भी "भारत के वीर" ट्रस्ट से 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ): "भारत के वीर" से, अब तक वीरगति को प्राप्त कार्मिकों के 657 आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

*****